

the THERE SERVED

राजस्थान राज-पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक २1, सोमवार, शाके 1940-नवम्बर 12, 2018 Kartika 21, Monday, Saka 1940-November 12, 2018

भाग 5 (घ) भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

दिनांकः 12 नवम्बर, 2018 21 कार्तिक, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या डी. 1176 / एफ.3(1)(6)प्रथम / निर्वा. / 2018: यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार राजस्थान राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 20 जनवरी, 2019 (रविवार) को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी: और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) की शर्तों पर, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्दाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

> राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से. डी.बी.गुप्ता, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

ELECTION DEPARTMENT

Dated: 12th November, 2018 21 Kartika, 1940 Saka

NOTIFICATION

No.D.1176/F.3(1)(6)I/Elec./2018:-WHEREAS, in accordance with the provisions of clause(1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Rajasthan, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 20th January, 2019 (Sunday) and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15. of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Rajasthan;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Rajasthan, is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under.

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,
D.B. GUPTA,
CHIEF SECRETARY TO THE,
GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

> दिनांकः 12 नवम्बर, 2018 21 कार्तिक, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 464 / राज0. – वि०स० / 2018 :- यतः राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप—धारा (2) का अधीन जारी और 12 नवम्बर, 2018 को राज्य के शासकीय राज—पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से समस्त से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान संभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में,

भारत निर्वाचन आयोग, एतद्दवारा :--

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में -

- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम : 19 नवम्बर 2018 (सोमवार) तारीख
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की : 20 नवम्बर 2018 (मंगलवार) तारीख
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम : 22 नवम्बर 2018 (वीरवार) तारीख
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक : 07 दिसम्बर 2018 (शुक्रवार) हुआ तो, मतदान होगा
- (ड़) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन : 13 दिसम्बर 2018 (वीरवार) सम्पन्न करा लिया जायेगा

नियत करता है; और

(आ) 8.00 बज़े पूर्वीहन से 5.00 अपराहन तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

> आदेश से, राहुल शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

Dated: 12th November, 2018 21 Kartika, 1940 Saka

NOTIFICATION

No.464/RJ-LA/2018:-Whereas, the Governor of the State of Rajasthan has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 12th November, 2018, been pleased to call upon all Assembly

Constituencies in the State of Rajasthan, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under;

Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **appoints**, with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies;
 - (i). the 19th November, 2018 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (ii) the 20th November, 2018 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations:
 - (iii) the 22th November, 2018 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures:
 - (iv) the 7th **December, 2018 (Friday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
 - (v) the 13th December, 2018 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) **fixes the hours** from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,
RAHUL SHARMA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

Government Central Press, Jaipur.